UPPB010025622026

न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, पीलीभीत

पीठासीन अधिकारीः रविन्द्र कुमार–चतुर्थ, एच0जे0एस0–UPID2014

द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1001/2026

शिवम मिश्रा पुत्र विनोद मिश्रा, निवासी ग्राम–मैनी, थाना–बिलसण्डा, स्थायी निवासी–मोहल्ला हबीबुल्ला खां शुमाली, थाना–बीसलपुर, जिला–पीलीभीत।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 सरकार ..... अभियोगी

मुकदमा अपराध संख्या–75/2026,
अन्तर्गत धारा–191(2), 191(3) 115(2), 131, 109(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता,
थाना–दियोरिया कलां, जनपद–पीलीभीत।

दिनांकः 04.06.2026

1. यह द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथ–पत्र आवेदक/अभियुक्त शिवम मिश्रा की ओर से उपरोक्त मुकदमा अपराध, दिनांकित–29.04.2026 के मामले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–482 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त का प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र बल न दिये जाने के कारण बिना गुण–दोष पर जाये इस न्यायालय द्वारा दिनांक–26.06.2025 को निरस्त किया जा चुका है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि वादी मुकदमा राजवीर सिंह द्वारा दिनांक–29.04.2026 को थाना–दियोरिया कलां, जिला–पीलीभीत पर इस आशय की तहरीर दी गई है कि वह ग्राम–मधवापुर में अपनी दुकान पर था। आवेदक/अभियुक्त व अन्य लोगों ने शाम करीब 7:30 बजे वैगनार गाड़ी संख्या यू0पी0 16 ए.सी. 8889, उसकी दुकान के सामने खड़ी कर दी। वादी ने गाड़ी हटाने को कहा तो वह आग बबूला हो गये और उसके साथ गाली–गलौज व मारपीट करने को तैयार हो गये। अगले दिन सुबह वादी के साथ लाठी–डण्डों से मारपीट की भीड़ इक्ट्ठी होने पर आवेदक/अभियुक्त ने तमंचे से फायर कर दिया और भाग गये।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि उपरोक्त मुकदमे में उसको रंजिशन व पार्टीबन्दी के कारण झूठा फंसाया गया है। प्राथमिकी विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। उसके द्वारा कथित घटना कारित नहीं की गयी है। वह प्राथमिकी में नामजद नहीं है। घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। उसके विरूद्ध कोई पृथक एवं विशिष्ट भूमिका नहीं दर्शायी गयी है। कथित तमंचा व कार की बरामदगी मामले के सह–अभियुक्त रिशू मिश्रा से दर्शायी गयी है तथा उसी के बयान के आधार पर उसको अभियुक्त बनाया गया है। सम्बंधित थाना पुलिस उसको बेजा तंग व परेशान कर रही है। यदि उसकी गिरफ्तारी होगी तो उसकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रा का हनन होगा उसक उसके मान–सम्मान को चोट पहुंचेगी। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह विवेचना/विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा, किसी साक्ष्य से छेडछाड नहीं करेगा और माननीय न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना देश नहीं छोडेगा। अतः उपरोक्त आधारों पर उसको अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी।

4. राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी एवं उनकी सहायता कर रहे वादी मुकदमा के निजी विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र का घोर विरोध करते

Digitally signed by RAVINDRA KUMAR
Date: 2026.06.04 17:01:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

हुए तर्क दिया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ एक राय होकर विधि विरूद्ध जमाव कर, बलवा कारित करने के आशय से, वादी मुकदमा के साथ लाठी–डण्डों से मारपीट की गई और उसको जान से मारने की नीयत से उस पर तमंचे से फायर किया गया। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः उसके अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

5. आवेदक/अभियुक्त के अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर उसके विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी एवं वादी मुकदमा के निजी विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने गये तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया गया ।

6. प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ एक राय होकर विधि विरूद्ध जमाव कर, बलवा कारित करने के आशय से, वादी मुकदमा के साथ लाठी–डण्डों से मारपीट कर, उसको जान से मारने की नीयत से उस पर तमंचे से फायर करने का गम्भीर एवं विशिष्ट आरोप/इलजाम है। लिहाजा इन परिस्थितियों में यह अदालत आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पाने का हकदार नहीं मानती है। अतः मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं मामले के गुण–दोष पर कोई विचार व्यक्त किये बिना इस न्यायालय की राय में आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त शिवम मिश्रा का द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 04.06.2026

(रविन्द्र कुमार–चतुर्थ)
UPID2014
सत्र न्यायाधीश,
पीलीभीत